न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 67 / 2024

श्री भवानी शंकर कुर्मी पुत्र श्री हीरा लाल कुर्मी निवासी पोस्ट आफिस के सामने की गली धाकड कोलोनी टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक **16.01.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 02.09.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

तहसीलदार मालपुरा जी.ए.डी. शाखा के बिल (वेतन) से दिनांक 5.06.2024 को Rs 99,048/—रू का निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भुगतान किया गया। का बिल व अन्तर मानचित्र का प्रमाणित नमूना।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को पत्र क्रमांक 1825 दिनांक 12.12.2024 व 1852 दिनांक 16.12.2024 व 2 दिनांक 1.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा ने पत्र क्रमांक 1397 दिनांक 26.12.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक 1396 दिनांक 26.12.2024 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक